अध्याय 21

ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ–साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था–पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत।

ब्रिटिश कालीन भारत केन्द्रशासित प्रदेशों एवं 11 प्रान्तों में बँटा हुआ था। सभी प्रान्तों के अलग–अलग गर्वनर थे जो कि भारत के गर्वनर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे।

सन् 1857 ई. की क्रान्ति के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर भारत में प्रशासन का सीधा नियन्त्रण इंग्लैण्ड के ताज एवं संसद के नियन्त्रण में आ गया। अब कैनिंग को गर्वनर जनरल के साथ–साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसके द्वारा एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया साथ ही 'फूट डालो राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। सरकार की नीतियों के कारण पुलिस, अदालत और पदाधिकारी केवल भूस्वामियों एवं साहुकारों का पक्ष लेते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पारित कुछ अधिनियम इस प्रकार से हैं :–

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन कौंसिल्स एक्ट 1861 पारित किया। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य शासन में नरम दल को संतुष्ट करने का एक प्रयास था । इसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं –

इस अधिनियम द्वारा गर्वनर की कार्यकारिणी परिषद् के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढाकर 5 कर दी गई । गर्वनर जनरल को कार्यपालिका को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम तथा आदेश बनाने के अधिकार दिए गए। विधान परिषद् को अब सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गर्वनर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। विधान परिषद् द्वारा पारित कोई विधेयक सपरिषद् भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर इंग्लैण्ड का ताज इसे रद्द कर सकता था। गर्वनर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। गर्वनर को किसी प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार दिया गया।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की माँग की गई जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद् अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरूआत करनी थी। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया जाता था। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई।

1909 का भारत परिषद् अधिनियम

यह भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम था। इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गर्वनर जनरल लार्ड मिन्टो थे। इस अधिनियम को मार्ले–मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। जिसके तहत् भारतीय परिषद् अधिनियम 1909, मार्ले–मिन्टो सुधार के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसी कारण मार्ले और मिन्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में शासन करने हेतु अंग्रेजों ने 'फूट डालो राज करो' की नीति अपनाई।

मार्ले

मिन्टो

1919 का भारत सरकार अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। अब प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई।

इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। भारत सचिव को भारत सरकार से जो वेतन मिलता था, इस अधिनियम द्वारा अब वह अंग्रेजी कोष से मिलना तय किया गया। विषयों को निम्नांकित रूप से केन्द्र तथा प्रान्तों में बाँट दिया गया।

केन्द्रीय सूची के मुख्य विषय :– विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण आदि।

प्रान्तीय सूची के मुख्य विषय :– स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। इस अधिनियम को माण्टेग्यू चैम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।

1935 का भारत शासन अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रान्तों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया साथ ही केन्द्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत् बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गर्वनर जनरल का नियन्त्रण था। केन्द्रीय विधान मण्डल में दो सदन थे–

1. **राज्य सभा–** इसे उच्च सदन कहा गया, यह एक स्थाई संस्था थी। राज्य सभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रान्तों के थे। जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते थे।
2. **संघीय सभा–** इसे निम्न सदन कहा गया, इस सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता था। इसे समय पूर्व ही भंग किया जा सकता था। इसकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई । इनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए थे शेष 250 स्थानों में से 246 स्थान साम्प्रदायिक व अन्य वर्गों और

चार स्थान अप्रान्तीय थे जो व्यापार उद्योग तथा श्रम को दिए गए थे। इस अधिनियम में विषयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया– संघ सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची।

संघ सूची में 59 विषय, प्रान्तीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। उदाहरण स्वरूप जैसे –

1. **संघ सूची–** इसमें सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, रेल, संघ लोकसेवा, संचार, बीमा आदि।
2. **प्रान्तीय सूची–** शिक्षा, भू–राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खानें, व्यापार, उद्योग धन्धे, न्याय, सड़क, प्रान्तीय लोक सेवाएँ, आदि।
3. **समवर्ती सूची–** दीवानी तथा फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने तथा श्रम कल्याण आदि।

शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव

अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य प्रारम्भ में कम्पनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना, इसाई धर्म का प्रचार करना तथा प्रशासनिक कार्यों की मदद के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। परन्तु इसका प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेजी पढकर लोग पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति और राजनीति को समझने लगे तथा उनको ग्रहण करने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों और रीति–रिवाजों की आलोचना किए जाने पर शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध किया।

1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया। इसके अन्तर्गत उच्चशिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया एवं देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेन्ट की ओर से जो योजना पेश की उसके तहत देश में प्रारम्भिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करनें एवं 6 से 11 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थे।

ब्रिटिशकालीन शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर प्रभाव

समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए, उनमें से एक '1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' लागू किया। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉण्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। यह इतना अधिक खतरनाक था कि, इसने देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया।

इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद

लार्ड रिपन के काल में प्रस्तुत इस विधेयक में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों को दण्डित कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया।

राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल में आने वाले कुछ प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन

देश की आजादी के पूर्व राजस्थान में केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थी। इन रियासतों में रहने वाले **'अंग्रेज रेजिडेंट'** की निगरानी में ही इनका शासन चलता था। धीरे–धीरे

अनेक रियासतों ने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के कुछ अंश अपनाने शुरू कर दिए। 1839 में जब जयपुर की राजमाता को 'अभिभावक' पद से हटा दिया गया तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद् का गठन किया गया। इसी अवसर पर राज्य में दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक कर दिया। जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 ई. तक चलती रही। कालांतर में 4 सदस्यों की अपील–अदालतों की स्थापना की गई। इसके दो न्यायाधीश अपील सुनते थे और दो न्यायाधीश फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते थे। कुछ समय पश्चात् यह परिषद् दो भागों में विभक्त हो गई। पहली इजलास व दूसरी महकमा खास। महकमा खास ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था।

1858 ई. के उपरान्त ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ राजा, महाराजा, महाराणा एवं महारावल नाममात्र के शासक रह गए। ये शासक वास्तव में कम्पनी सरकार के सेवक बनकर रह गए। शासक पड़ोसी राजा के साथ भी स्वतन्त्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते थे। उन्हें विदेशी यात्रा पर ब्रिटिश सरकार जाने के लिए बाध्य कर सकती थी। जिस प्रकार अलवर नरेश को इंग्लैण्ड जाने को बाध्य किया गया। यहाँ तक कि नरेशों को वैवाहिक सम्बन्धों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में 'अभिभावक परिषद्'का गठन किया गया। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबन्ध अंग्रेज सरकार के नियन्त्रण मे आ गया। उदयपुर में ऐसा करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को 1861 ई. में मिला। जयपुर राज्य के उपरान्त उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर राज्यों में अंग्रेजी कानून लागू किए गए। बीकानेर रियासत में 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। यहीं पर 1922 ई. में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया।

1930 ई. तक राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई। यह घोषणा की गई कि न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएँगे । जाति, धर्म, वंश, पद और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय करते समय भेदभाव नहीं किया जायेगा। न्याय व्यवस्था के सभी कार्य अब लिखित रूप से किए जाने लगे।

ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई परिवर्तन नहीं किए। परन्तु ग्राम पंचायतों से उपर की इकाई परगनों को जिलों में बदल दिया गया और जिलाधीशों द्वारा वे शासित होने लगे। अब जिलाधीश अपने जिले का पूर्ण रूप से मालिक हो गया। उसके अधीन नाज़ीम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, आदि कार्य करने लगे। इनका सम्बन्ध मूलतः लगान वसूली व किसानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा करना होता था। न्याय का कार्य जिला मजिस्ट्रेट एवं शान्ति व्यवस्था का कार्य पुलिस अधिकारी करने लगे। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ अजमेर क्षेत्र से हुआ। अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।

शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त : सरकार की शक्तियों को अलग–अलग संस्थाओं में बाँट देना, ताकि कोई एक संस्था हावी होकर विधि विरूद्ध काम नहीं करने लगे।

शब्दावली

परगना – ग्राम पंचायत के उपर की प्रशासनिक इकाई
समवर्ती सूची – ऐसे विषयों की सूची जिन पर केन्द्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
शक्ति पृथक्करण – शक्तियों का विभाजन करना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक का सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1 भारत के प्रथम वायसराय थे :–
(अ) लॉर्ड कैनिंग (ब) लॉर्ड डलहौजी
(स) सर जॉन लॉरेन्स (द) लॉर्ड मेयो ( )

2 संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई ?

3 कृषि का वाणिज्यीकरण किसे कहा जाता है ?

4 लॉर्ड मिन्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता क्यों कहा जाता है ?

5 द्वैध शासन से आपका क्या तात्पर्य है ?

6 शिक्षा एवं समाज सुधार के जरिए अंग्रेजों द्वारा समाज को अपने पक्ष में ढालने का उद्देश्य क्या था?

7 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए।

8 पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना विभाग में क्या परिर्वतन किए गए?

9 ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्थान की रियासतों में 'अभिभावक परिषद्' का गठन क्यों किया गया?

गतिविधि–

ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन के समय ऐसे कौनसे परिवर्तन किये गए, जो आज भी चल रहे हैं। पता कीजिए।